

पत्रांक 10/न 4 - 16/10 591
विहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य,
उप सचिव,

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली - 1100921

पटना, 'दिनांक - 29/06/10

विषय राराडॉनिक्स रवूल, झाङा, जमुई का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के
संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करता है कि सरकारी अधिसूचना सं0 - 238 दिनांक - 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा साराडॉनिक्स रवूल, झाङा, जमुई को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त रिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय भारत चैटिएल ट्रस्ट के अधीन संबंधित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/पारेशार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाईटी के प्रत्येक सदस्य का घोरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी नियंत्रित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति रामाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। परन्तु ऐसा कोई साक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो। विद्यालय में 20 शिक्षक हैं। सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करें। इससे सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से राहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना सं0 - 238 दिनांक - 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्ते रवीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुराग :-

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोश में निवास करने वाले बच्चों का निःशुल्क किया जाएगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछड़

- वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग यालिकाएं तथा रागान्त्र्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रु० प्रति वर्ष होंगे को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/को०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जाएगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुल तरिका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा।
- (iii) नर्सरी/को०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक कि०मी० एवं उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु, अधिकतम दूरी तीन कि०मी० तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है, उनसे लिई गई आवेदन शुल्क का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।
8. यद्यपि की विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी सी०यी०१८०५० नई दिल्ली अपने रत्न से जाँच कर सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित, माप दंड के आधार पर संचालित है।
9. साथ ही गोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहगति के अनुराग अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोसेप्टरस एवं येवसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की रिपोर्ट में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा तथा संबंधन रद करने की कार्रवाई की जाएगी।
10. विभागीय पदांक -- 46 दिनांक -- 18.01.2008 द्वारा प्राक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना ठीक।
11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।
12. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर रारालॉगिका रकूल, झाझा, जगुई को री०यी०१८०५० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अंतापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है। अनु०- जिला शिक्षा पदाधिकारी, जगुई का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह०/--

(अौकार नाथ आर्य)

उप सचिव

पटना, दिनांक 29/06/10

(अौकार नाथ आर्य)

उप सचिव

591

प्रतिलिपि - जिला शिक्षा पदाधिकारी, जगुई को उनके पदांक : 222 दिनांक: 03.05.10 के प्रस्ता०, में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ch. K. Patel
Director
Sardonyx School
Jhajha - Jamui)

S. S.
Principal
SARDONYX SCHOOL
Affiliated to C.B.S.E., New Delhi
Affiliation No.- 330375
School Code - 65366
Jhajha - 811308